

2021/379

पत्र-8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, 2111892

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प 2111892

प्रदेश पुश्तान गांवों के लिए मामला 2021

:-आदेश:-

195
25/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्री श्री व भू.अ.नि. प्लाटों की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या 61 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
↓	पटवारी	61	ग्रामपंच पुत्र नानू	पन्डराम पुत्र रामचंद्र पुत्र नानू शेख 25/11/21

(
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उप-उपखण्ड अधिकारी एवं
शा.पदेन सहा.कलक्टर

क्रमांक :- 844-845

दिनांक :- 25/11/2021

प्रतिलिपि :-

1. उप तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

25/11/2021

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर.